हिन्दी रूपान्तरण

भारत सरकार
प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

**Website: www.deptpub.gov.in**
**Email: acop-dep@nic.in (&) pub.dep@nic.in**
**TEL.: 2381 7823 / 9689 Fax: 2381 7846**

सं. 111/रद्दी कागज/2013-14/सामान्य दिनांक: 23-3-2015

सेवा में,

मैसर्ज एच टी मीडिया लि० ,
18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग
दिल्ली-110001.

**विषय:- प्रकाशन विभाग से वर्ग 'ब' की रद्दी उठाने के लिए संविदा (Contract) के संदर्भ में ।**

महोदय,

आपको यह सूचित किया जाता है कि इस विभाग के दिनांक 23-6-2014 के पत्र सं० 111/रद्दी/2013-14/सामान्य के तहत आपको वर्ग 'ब' की रद्दी उठाने के लिए संविदा दिया गया था । संविदा के अनुसार रद्दी उठाने के कार्य को 28 फरवरी 2015 तक पूरा किया जाना था । वर्ग 'ब' की रद्दी उठाने के लिए अपेक्षित औपचारिकताएं तथा सिक्यूरिटी राशि जमा करने के पश्चात् इस विभाग के दिनांक 01-9-2014 के समसंख्यक पत्र के तहत आपकी फर्म को कार्य आदेश जारी किया गया था जिसमें आपको यह निवेदन किया गया था कि रद्दी उठाने के कार्य को शीघ्र आरम्भ किया जाएं परन्तु लिखित में तथा टेलीफोन से बात-चीत के बावजूद भी इस संबंध में आपके द्वारा न तो कोई कार्यवाही की गई तथा न ही इस विभाग में कोई जवाब प्राप्त हुआ ।

2. तत्पश्चात् इस विभाग के दिनांक 17-10-2014 के पत्र द्वारा आपको यह निवेदन किया गया कि रद्दी उठाने की प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करवाया जाए ताकि उस स्थान को अन्य सरकारी प्रकाशनों के लिए उपयोग में लाया जाए परन्तु आपके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई । उसके बाद दिनांक 29-10-2014 को आपके पास एक स्मरण पत्र इस निवेदन के साथ भेजा गया कि दिनांक 07-11-2014 से रद्दी उठाने का कार्य शुरू किया जाए । ऐसा न होने पर आपका सिक्यूरिटी जमा जब्त कर दिया जाएगा तथा संविदा को रद्द कर दिया जाएगा तथा इस संदर्भ में विभाग द्वारा आगे की ओर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी

3. तत्पश्चात् इस विभाग के दिनांक 04-02-2015 के समसंख्यक पत्र के तहत आपको अन्तिम नोटिस भेजा था जिसमें यह सूचित किया गया था कि **संविदा करार फरवरी 2015 तक ही वैध है जिसकी अवधि शीघ्र ही समाप्त होने वाली है** तथा आपसे वर्ग 'ब' की रद्दी को उठाने के कार्य को शुरू करने का निवेदन किया था ताकि करार में दर्शायी समय अवधि के भीतर ही संविदा की प्रक्रिया पूरी की जा सके

.......2/-

अन्यथा आपका सिक्यूरिटी जमा जब्त कर दिया जाएगा तथा करार को भी रद्द किया जाएगा तथा आपकी कम्पनी को भविष्य में किसी भी सरकारी करार के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा परन्तु इस संबंध में आपके द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई तथा आप करार की निबंधन एवं शर्तो को पूरा करने में पूरीतरह असफल रहें । आपको यह भी सूचित किया जाता है कि आपको दी गई करार की अवधि पहले से ही 28 फरवरी को समाप्त हो चुकी है ।

4. उपर्युक्त की दृष्टि से इस विभाग द्वारा आपको दिए वर्ग 'ब' के रद्दी उठाने के करार को रद्द किया जाता है तथा आपकी 22,000/- की सिक्यूरिटी जमा राशि जब्त की जाती है । करार में दिए गए निबंधन एवं शर्तो के उल्लंघन करने तथा उन्हें पूरा न करने के लिए आपकी फर्म पर भविष्य में इस विभाग के किसी भी प्रकार के सरकारी करारों के लिए एक वर्ष के लिए रोक लगाई जाती है तथा ब्लैक लिस्ट किया जाता है ।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

(दिनेश चन्द्र)

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. ई-राजपत्र अनुभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
2. रोकड़ अनुभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतू ।
3. छंटनी अनुभाग को सूचना हेतू
4. बोली में भाग लेने वाले संबधित सभी

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)